न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

धार्मिक एन्यूटी प्रा0 पत्र सं0 02/2019

मंदिर श्री मोहनलाल जी विराजमान वाके स्थित ग्राम मोरीजा जागीर मोरीजा (पूर्ववर्ती तहसील आमेर) वर्तमान ग्राम पंचायत मोरीजा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर जरिये पुजारीयान :—

1. विमल किशोर पारीक पुत्र श्री सांवरलाल पारीक पौत्र स्व0 श्री नाथूलाल, जाति—ब्राम्हण, निवासी—मंदिर श्री मोहनलाल जी ग्राम मोरीजा।
2. सत्यवर्धन पारीक पुत्र स्व0 श्री मदनमोहन पुरोहित, निवासी—मंदिर श्री मोहनलाल जी ग्राम मोरीजा।

प्रार्थी,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू, जिला—जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सपठित राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 बाबत् मंदिर श्री मोहनलाल जी विराजमान वाके स्थित ग्राम मोरीजा जागीर मोरीजा (पूर्ववर्ती तहसील आमेर) वर्तमान ग्राम पंचायत मोरीजा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर के पुजारी की मृत्यु के पश्चात् एन्यूटी प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने बाबत्)

उपस्थितिः—

1. श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से ।
2. राजकीय अभिभाषक।

<u>निर्णय</u> दिनांक : 21-05-2019

प्रार्थी सं0 1 विमल किशोर पारीक पुत्र श्री सांवरलाल पारीक पौत्र स्व0 श्री नाथूलाल पारीक तथा प्रार्थी सं0 2 सत्यवर्धन पारीक पुत्र स्व0 मदनमोहन पुरोहित द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंदिर श्री मोहनलाल जी ग्राम मोरीजा के पुजारी स्व0 नाथूलाल जी एवं स्व0 मदन लाल जी की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण वे उत्तराधिकारी हैं एवं पुजारी का कार्य कर रहे हैं अतः एन्यूटी राशि प्राप्त करने का उन्हे अधिकारी घोषित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रकरण में तहसीलदार, चौमूं से मंदिर की सेवा पूजा एवं भोगराग की राशि

Scanned by CamScanner

एन्यूटी पाने का जायज अधिकारी की सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मय टिप्पणी के चाही गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप विवरण निम्न प्रकार है :–

मंदिर श्री मोहनलाल जी विराजमान वाके स्थित ग्राम मोरीजा जागीर मोरीजा (पूर्ववर्ती तहसील आमेर) वर्तमान ग्राम पंचायत मोरीजा पंचायत समिति गोविन्दगढ तहसील चौमू, जिला–जयपुर स्थित प्राचीन मंदिर है। जिसके तत्कालीन पुजारी नाथूलाल पुत्र बलदेव (प्रार्थी सं0 1 के दादा) एवं मदनमोहन पुत्र रामगोपाल (प्रार्थी सं0 2 के पिता थे) जिनके पक्ष में जागीर कमिश्नर जयपुर के पत्रांक 621 दिनांक 05.06.1967 के द्वारा क्लेम सं0 473 राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत प्रपत्र 12–ए जारी किया गया था जिसकी अनुपालना में देवस्थान आयुक्त, उदयपुर के द्वारा दिनांक 16.04.1969 को पत्रांक 2942 के द्वारा प्रपत्र–बी जारी किया जाकर एन्यूटी राशि का भुगतान आदेश जारी किया गया था। जिसके अनुसार मंदिर की एन्यूटी राशि का भुगतान मंदिर की भोग राशि के रूप में तत्कालीन पुजारी नाथूलाल पुत्र बलदेव एवं मदनमोहन पुत्र रामगोपाल नियमानुसार प्राप्त कर रहे थे।

पुजारी नाथूलाल पुत्र बलदेव का निधन दिनांक 29.10.1969 को हो चुका है तथा उनके एक मात्र वारिस पुत्र सांवरलाल है एवं सांवरलाल के पुत्रान् कृष्ण किशोर एवं विमल किशोर है। वर्तमान में प्रार्थी सं0 1 विमल किशोर द्वारा ओसरे अनुसार नियमित रूप से सेवा–पूजा एवं प्रबंध व्यवस्था की जा रही है। उनके भाई कृष्ण किशोर को कोई एतराज नही है। इस बाबत उनकी ओर से सहमति का शपथ पत्र दिया गया है।

मदनमोहन पुत्र रामगोपाल का निधन दिनांक 24.10.2005 को हो चुका है तथा उनके वारिस पुत्र प्रार्थी सं0 2 सत्यवर्धन है जो ओसरे अनुसार मंदिर की सेवा–पूजा एवं प्रबंध व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन, प्रकाश वर्धन, आलोक व आशिष यद्यपि पुजारी श्री मदनमोहन के पुत्र एवं पौत्र है परन्तु मंदिर की एन्यूटी राशि का भुगतान प्रार्थी सं0 2 के नाम से स्वीकृत करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। जिसकी सहमति बाबत् उनके द्वारा शपथ पत्र दिये गये हैं।

मृतक पुजारी नाथूलाल पुत्र बलदेव एवं मृतक पुजारी मदनमोहन पुत्र रामगोपाल का सजरा खानदान ग्राम पंचायत मोरीजा द्वारा क्रमशः दिनांक 05.11.2015 एवं 09.11.2015 को जारी किये गये है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है :–

1. शपथ–पत्र पुत्र कृष्ण किशोर पारीक पुत्र सांवरलाल पारीक।
2. शपथ–पत्र हर्षवर्धन पारीक, प्रकाश वर्धन पारीक पुत्रान मदनमोहन पारीक।
3. शपथ–पत्र आलोक, आशिष पुत्रान् लक्ष्मीवर्धन।
4. शपथ–पत्र प्रेमलता पारीक, पुष्पा पारीक पुत्रियां स्व0 मदनमोहन पारीक।
5. शपथ–पत्र सरिता पारीक पौत्री स्व0 मदनमोहन पारीक।
6. प्रपत्र 12 ए सं0 12118–12123 दिनांक 18.08.1967
7. एन्यूटी राशि आदेश क्रमांक 2982 दिनांक 26.04.1969
8. श्री नाथूलाल व्यास की मृत्यु दिनांक 29.10.1969 का प्रमाण पत्र
9. श्री मदनमोहन पुरोहित की मृत्यु दिनांक 24.10.2005 का प्रमाण पत्र

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) सत्यमेव जयते जयपुर जिला–जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

10. श्री लक्ष्मीवर्धन पुरोहित पुत्र मदनमोहन पुरोहित की मृत्यु दिनांक 28.12. 2003 का प्रमाण पत्र ।

11. ग्राम पंचायत मोरीजा द्वारा जारी कुर्सीनामा दिनांक 05.11.2015 व 09.11.2015

उभयपक्षों को सुना गया प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मंदिर श्री मोहनलाल जी विराजमान वाके स्थित ग्राम मोरीजा जागीर मोरीजा (पूर्ववर्ती तहसील आमेर) वर्तमान ग्राम पंचायत मोरीजा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर के पुजारी स्व0 श्री नाथूलाल पारीक तथा स्व0 मदनमोहन पुरोहित द्वारा मंदिर की सेवापूजा की जा रही थी। पुजारी नाथूलाल पुत्र बलदेव का निधन दिनांक 29.10.1969 को हो चुका है तथा उनके एक मात्र वारिस पुत्र सांवरलाल है जो काफी वृद्ध हैं तथा उन्होने भी शपथ पत्र पेश कर अपने पुत्र विमल किशोर एवं श्री सत्यवर्धन को एन्यूटी राशि स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। श्री सांवरलाल के पुत्रान् कृष्ण किशोर एवं विमल किशोर है। वर्तमान में प्रार्थी सं0 1 विमल किशोर द्वारा ओसरे अनुसार नियमित रूप से सेवा–पूजा एवं प्रबंध व्यवस्था की जा रही है। उनके भाई कृष्ण किशोर को कोई एतराज नहीं है। इस बाबत उनकी ओर से एन्यूटी राशि उनके भ्राता विमल किशोर को देने का सहमति का शपथ पत्र दिया गया है।

पुजारी श्री मदनमोहन पुत्र रामगोपाल का निधन दिनांक 24.10.2005 को हो चुका है तथा उनके वारिस पुत्र प्रार्थी सं0 2 सत्यवर्धन है जो ओसरे अनुसार मंदिर की सेवा–पूजा एवं प्रबंध व्यवस्था कर रहें है। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन, प्रकाश वर्धन, आलोक व आशिष यद्यपि पुजारी श्री मदनमोहन के पुत्र एवं पौत्र है परन्तु मंदिर की एन्यूटी राशि का भुगतान प्रार्थी सं0 2 के नाम से स्वीकृत करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। जिसकी सहमति बाबत् उनके द्वारा शपथ पत्र दिये गये हैं। दोनों प्रार्थीगण अपने–अपने ओसरे अनुसार मंदिर श्री मोहनलाल जी विराजमान वाके स्थित ग्राम मोरीजा जागीर मोरीजा की सेवा पूजा, भोगराग, सम्पति आदि का प्रबंध कर रहे हैं। अतः मृतक पुजारी नाथूलाल पुत्र बलदेव एवं मृतक पुजारी मदनमोहन पुत्र रामगोपाल की मृत्यु उपरान्त मंदिर की भोगराग, सेवा पूजा के लिए मिलने वाली वार्षिक वृत्ति प्रार्थीगण को प्राप्त किये जाने हेतु अधिकृत किया जावें।

प्रभारी अधिकारी जागीर शाखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कमांक 66 दिनांक 12.09.2017 में अंकित किया है कि मंदिर श्री मोहन लाल जी विराजमान मोरीजा तहसील चौमूं के सबंध में धार्मिक एन्यूटी रजिस्टर कमांक 473 पर मंदिर श्री मोहन लाल जी पुजारी नाथू पुत्र बलदेव व मदन मोहन पुत्र रामगोपाल प्रोथ साकीन मोरीजा दर्ज रिकार्ड है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि पुजारी नाथूलाल पुत्र बलदेव का निधन दिनांक 29.10.1969 को हो चुका है इसके बाद उनके पुत्र श्री सांवरमल द्वारा सेवा पूजा की जा रही थी परन्तु उनके काफी वृद्ध होने के कारण प्रार्थी सं0 1 विमल किशोर द्वारा ओसरे अनुसार नियमित रूप से सेवा–पूजा एवं प्रबंध व्यवस्था की जा रही है। उनके भाई कृष्ण किशोर को कोई एतराज नहीं है। मदनमोहन पुत्र रामगोपाल का निधन दिनांक 24.10.2005 को हो चुका है तथा उनके वारिस पुत्र प्रार्थी सं0 2 सत्यवर्धन है जो ओसरे अनुसार मंदिर की सेवा–पूजा एवं प्रबंध व्यवस्था कर रहें है शेष वारिसान द्वारा एन्यूटीराशि प्राप्त करने के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। तहसीलदार

Scanned by CamScanner

चौमूं द्वारा भी प्रार्थी सं0 1 विमल किशोर एव प्रार्थी सं0 2 सत्यवर्धन को एन्यूटी राशि पाने का हकदार मानने की रिपोर्ट प्रेषित की है अतः प्रार्थीगण को एन्यूटी राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाना उचित है।

हमनें उभयपक्षों के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनें कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज की प्रतियों से यह जाहिर है कि पुजारी नाथूलाल पुत्र बलदेव का निधन दिनांक 29.10.1969 का एवं मदनमोहन पुत्र रामगोपाल का निधन दिनांक 24.10.2005 को हो चुका है। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा मंदिर की सेवा पूजा भोगराग एवं सम्पति आदि का प्रबन्ध किया जा रहा है। मंदिर के मृतक पुजारीगण के जायज वारिसानों द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर मंदिर के बाबत मिलने वाली एन्यूटी की धनराशि का भुगतान प्रार्थीगण को किए जाने पर कोई एतराज नहीं होना अंकित किया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार मंदिर श्री मोहनलाल जी विराजमान वाके स्थित ग्राम मोरीजा जागीर मोरीजा (पूर्ववर्ती तहसील आमेर) वर्तमान ग्राम पंचायत मोरीजा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर की भोगराग के लिए प्राप्त हो रही एन्यूटी राशि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी सं0 1 विमल किशोर पारीक पुत्र श्री सांवरलाल पारीक पौत्र स्व0 श्री नाथूलाल, जाति– ब्राम्हण, निवासी–मंदिर श्री मोहनलाल जी ग्राम मोरीजा एवं प्रार्थी सं 2 सत्यवर्धन पारीक पुत्र स्व0 श्री मदनमोहन पुरोहित, निवासी–मंदिर श्री मोहनलाल जी ग्राम मोरीजा को पूर्वानुसार संयुक्तरूप से अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21-05-2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner